शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–2945/5-6-2017

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

चिकित्सा अनुभाग – 6 लखनऊ : दिनांक07 दिसम्बर, 2017

विषय : "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि "पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों (सरकारी सेवक) तथा पेंशनर्स (सेवानिवृत्त सरकारी सेवक) एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को आपातकालीन एवं असाध्य रोगों के कैशलेस चिकित्सा का प्राविधान किया गया है। योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन **SACHIS (State Agency for Comprehensive Health and Integrated Services)** द्वारा किया जा रहा है। तत्क्रम में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया योजना की वेबसाइट **upsects.in** के माध्यम से जारी है।

राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के ऑनलाइन पंजीकरण से पूर्व सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी का वेबसाइट upsects.in पर ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक है। राज्य कर्मचारी/पेंशनर्स तथा आहरण वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु पृथक फार्म का प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजना से सम्बन्धित समस्त जानकारी एवं पंजीकरण प्रक्रिया से सम्बन्धित विस्तृत दिशा–निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

राज्य कर्मचारियों/पेंशनर्स का योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु आहरण–वितरण अधिकारियों /कोषाधिकारियों का पंजीकरण अनिवार्य है। केवल योजनान्तर्गत पंजीकृत आहरण–वितरण अधिकारी/कोषाधिकारी ही सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों/पेंशनर्स के आवेदन–पत्र का सत्यापन कर सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि सभी विभागों के समस्त आहरण वितरण अधिकारी /कोषाधिकारी वेबसाइट **upsects.in** पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना सुनिश्चित् करें।

दिनांक 28.11.2017 तक मात्र 2,05,380 राज्य कर्मचारियों तथा 67,283 पेंशनर्स को ही पंजीकरण के उपरान्त "स्टेट हेल्थ कार्ड" उपलब्ध हो सका है। योजना के अन्तर्गत लक्षित लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया एवं योजना से सम्बन्धित लाभ का उल्लेख करते हुए अनेक पत्र राज्य के समस्त मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, आहरण–वितरण अधिकारी एवं कोषाधिकारियों को प्रेषित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित कराये गये हैं, परन्तु अपेक्षा के अनुरूप राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का योजना के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं हो पाया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स का ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु अपने स्तर से विभागीय जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। समस्त मण्डल/जनपद स्तरीय अधिकारी यह सुनिश्चित् करें कि उनके अधीनस्थ राज्य कर्मचारियों/सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों का ऑनलाइन पंजीकरण कराते हुए वेबसाइट पर दिये गये निर्धारित प्रकिया के अनुसार उन्हें "स्टेट हेल्थ कार्ड" उपलब्ध हो जाये। चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का ऑनलाइन पंजीकरण सम्बन्धित कार्यालय के कम्प्यूटर ऑपरेटर की सहायता से कराया जाये जिससे त्रुटिपूर्ण पंजीकरण की सम्भावना कम हो सके। पंजीकरण की स्थिति की पाक्षिक समीक्षा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा की जाए तथा SACHIS द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट प्रेषित की जाये।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव